TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION(ii) DATED THE 31st MAY, 1995

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
****

New Delhi the 31st May, 1995

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.602(E) dated 12th August, 1993 issued under clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 12 the Medical care to old persons and Leprosy patients, provision of home to old persons rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps of Helpage India, C-14, Qutab Institutional Area, New Delhi-110016 as an eligible project or scheme for a period of two assessment years commencing from the assessment year 1994-95 ;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

AND WHEREAS the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income Tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

NOW, THEREFORE, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 hereby specifies- Medical care to old persons and Leprosy patients, provision of home to old persons rehabilitation of destitute old women, conducting eye camps of Helpage India, C-14, Qutab Institutional Area, New Delhi-110016 at the estimated cost of One thousand two hundred ninety five lakhs as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from the assessment year 1996-97.

(V.K. Sehgal)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 9762
F.No.NC-30/95

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड [ii] तारीख 3 मई 1995 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
[राजस्व विभाग]

नई दिल्ली, तारीख
तारीख 3 मई, 1995

अधिसूचना

का० आ० [अ] केंद्रीय सरकारद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड [घ] के अधीन निकाली गई अधिसूचना सं० का० आ० 602 [अ], तारीख 12 अगस्त, 1993 में क्रम सं० 12 पर वृद्ध व्यक्तियों और कोढ़ी रोगियों की चिकित्सीय देखरेख, वृद्ध व्यक्तियों के लिए घर की व्यवस्था, निराश्रित वृद्ध महिलाओं का पुनर्वास, नेत्र के पर्दे के आरोपण के लिए हैल्पेज इण्डिया सी- 14 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 को निर्धारण वर्ष 1994-95 से आरंभ होने वाले दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था;

और उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्ष से ऊपर बढ़ाए जाने की संभावना है ।

और राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम का समुचित कार्यान्वयन किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ठ के उपनियम [5] के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किए जाने की सिफारिश की है ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड [घ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वृद्ध व्यक्तियों और कुष्ठ रोगियों की चिकित्सीय देखरेख, वृद्ध व्यक्तियों के

के के तीन निर्धारित वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

(वी० के० सहगल)
उप सचिव, भारत सरकार

9762
फा०सं० एन सी 30/93